न्यायालयः श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड्, जिला बड्वानी (म०प्र०)

<u>आपराधिक प्रकरण क्रमांक 602 / 2011</u> संस्थन दिनांक 26.12.2011

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, ठीकरी जिला–बड़वानी म0प्र0

----अभियोगी

विरुद्व

धर्मेन्द्र पिता मदनलाल, आयु 38 वर्ष निवासी—ग्राम ठनगाँव, तहसील महेश्वर जिला—खरगोन म.प्र.

> _____अभियुक्त _____

<u>/ / निर्णय / /</u>

<u>(आज दिनांक 17.07.2015 को घोषित)</u>

- 1. पुलिस थाना ठीकरी द्वारा अपराध क्रमांक 186/2011 अंतर्गत 279, 337, 338 भा.द.सं. में दिनांक 26.12.2011 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 19.11.2011 को प्रातः लगभग 10:00 बजे, ग्राम दवाना से उनगाँव के आम रोड़ बलगाँव में वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 46 बी.ए. 8066 को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलांकर मोतीलाल एवं बलदेव का मानवजीवन संकटापन्न करने, उक्त वाहन से मोतीलाल को टक्कर मारकर उपहतियाँ कारित करने, उक्त वाहन से बलदेव को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित करने के संबंध में अभियुक्त पर धारा 279, 337, 338 भा.द.ंस. के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।
- 2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था।
- 3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 19.11.11 को फरियादी जितेन्द्र व दीपक मोटरसाईकिल से बलगाँव जा रहे थे कि बलगाँव गाँव के बाहर बलदेव भी अपनी मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 46 बी. 4262 से दवाना की ओर आ रहा था, मोटरसाईकिल पर बलदेव का नौकर मोतीलाल भी बैठा था तभी पीछे दवाना की ओर से बोलेरों प्लस वाहन

कमांक एम.पी. 09 बी.ए. 8066 का चालक अपनी वाहन को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया और फरियादी की मोटरसाईकिल को ओव्हरटेक करता हुआ, सामने से आ रही मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 46 बी. 4262 को टक्कर मार दी जिससे बलदेव व मोतीलाल मोटरसाईकिल सहित गिर गये। फरियादी जितेन्द्र व दीपक दौडकर गये और देखा कि बलदेव को दोनों पैर, सिर व कमर में चोंट लगी थी तथा मोतीलाल को सिर, कमर, ढाढी, पैर व पसली में चोंटें आई थी तथा मोटरसाईकिल का भी नुकसान हुआ था। बोलेरों वाहन का चालक बोलेरों को छोडकर भाग गया था फिर फरियादी व दीपक ने आहतों को चिकित्सा हेतु चिकित्सालय दवाना लेकर आये थे। पुलिस ने फरियादी जितेन्द्र द्वारा दी गई घटना की सूचना के आधार पर अभियुक्त वाहन बोलेरों प्लस कमांक एम.पी. 09 बी.ए. 8066 के चालक के विरूद्ध अपराध कमांक 186 / 2011 अंतर्गत धारा 279, 337 भा.द.सं. में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्शपी 1 लेखबद्ध की, पुलिस ने फरियादी जितेन्द्र की निशांदेही से घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 2 बनाया। अभियुक्त के विरूद्ध संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग-पत्र अंतर्गत धारा 279, 337, 338 न्यायालय के समक्ष प्रस्तृत किया गया

- 4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री महेश कुमार सैनी, तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मिजस्ट्रेट, अंजड़ द्वारा अभियुक्त के विरूद्व धारा 279, 337, 338, भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है
- 5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है कि
 - 1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 19.11.2011 को प्रातः लगभग 10:00 बजे, ग्राम दवाना से ठनगाँव के आम रोड़ बलगाँव में वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 46 बी.ए. 8066 को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर मोतीलाल एवं बलदेव का मानवजीवन संकटापन्न किया ?
 - 2. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर मोतीलाल को टक्कर मारकर उपहतियाँ कारित की ?
 - 3. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर बलदेव को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित की ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में साक्षी बलदेविसंह (अ.सा.1), मोतीलाल (अ.सा.2), जितेन्द्र पिता सरदारिसंह (अ.सा.3), जितेन्द्र पिता युगल किशोर (अ.सा.4), दीपक (अ.सा.5), मोहन (अ.सा.6), शंकर (अ.सा.7), सहायक उपनिरीक्षक ओमप्रकाश यादव (अ.सा.8), डॉ. महेश वर्मा (अ.सा.9), डॉ. डी.एस. चौहान (अ.सा.10), बबनराव चौधरी (अ.सा.11) एवं अशोक वर्मा (अ.सा.12) के कथन कराये गये हैं, जबिक अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार विचारणीय प्रश्न कमांक 1, 2 एवं 3 के संबंध में

- प्रकरण में आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उक्त तीनों विचारणीय प्रश्न परस्पर सहसंबंधित होने से उक्त तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। इस संबंध में आहत बलदेवसिंह अ.सा. 1 का कथन है कि 6-7 माह पूर्व 10 बजे की घटना है। वह अपने मजदूर के साथ मोटरसाईकिल से बलगाँव से दवाना खेत में जा रहा था। मोटरसाईकिल वह चला रहा था, तभी सामने से आ रहे एक बोलेरों वाहन ने मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी थी। टक्कर लगने से उसके दोनों पैर कुचल गये और मोतीलाल को भी चोंटे आई थी। फिर उसे बेहोश अवस्था में आसपास के लोग ईलाज हेत इन्दौर ले गये। बुलेरों वाहन तेज गति से आ रहा था। घटना बुलेरों वाहन के चालक की लापरवाही से हुई थी। उसने बुलेरों वाहन के चालक की नहीं देखा था और उसे वाहन का क्रमांक याद नहीं है। अभियुक्त की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसे घटना के 2 दिवस बाद इन्दौर में होश आया था। पुलिस को उसने बुलेरों वाहन का कमांक नहीं बताया था। पुलिस ने प्रदर्शडी 1 के कथन में कैसे लिख लिया वह नहीं बता सकता। साक्षी ने स्वीकार किया कि घटनास्थल पर मोड था और मोड पर सामने आने वाली वाहन नहीं दिखती है, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसे मोटरसाईकिल से गिरने से चोंटें आई थी अथवा उसने क्लेम प्राप्त करने के लिए असत्य प्रकरण लगाया है।
- 8. मातीलाल असा 2 ने भी बलदेव के साथ मोटरसाईकिल पर जाने और बुलेरों वाहन की टक्कर से उसके दाहिने हाथ, पैर, सिर एवं माथे पर चोंट आने तथा बलदेविसंह के दोनों पैरों में चोंट आना बताया है। साक्षी का यह भी कथन है कि बुलेरो वाहन तेज गित से आ रहा था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने बुलेरो वाहन का क्रमाक नहीं देखा था। पुलिस ने प्रदर्शडी 2 के कथन में कैसे लिखा वह कारण नहीं बता सकता है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि बलदेविसंह सामने से आ रही वाहन को देखकर घबरा कर गिर गया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि मोटरसाईकिल को टक्कर नहीं लगी थी अथवा वह असत्य कथन कर रहा है।

जितेन्द्र पिता सरदारसिंह असा 3 का कथन है कि ढेड-दो वर्ष पूर्व वह मोटरसाईकिल से अपने मित्र दीपक के साथ बैठकर दवाना से बलगाव जा रहा था, उसकी मोटरसाईकिल के आगे दवाना का बलदेव भी मोटरसाईकिल से जा रहा था। दवाना की ओर से तेज गति से आ रही बुलेरो वाहन ने बलदेव की मोटरसाईकिल को जोर से टक्कर मार दी थी, जिससे बलदेव बुलेरों वाहन के साथ 8–10 फीट तक गया था, बलदेव के साथ मोटरसाईकिल पर एक अन्य व्यक्ति भी बैटा था, जिसका नाम उसे नहीं मालूम। दुर्घटना में बलदेव के दोनों पैरों में अस्थि भंग हुआ था तथा साथ में बैठें व्यक्ति को भी चोंटें आई थी, उसने थाना ठीकरी पर प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके बताये अनुसार प्रदर्शपी 2 का नक्शा मौका पंचनामा बनाया था। अभियोजन की ओर से सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने प्रदर्शपी 1 की प्रथम सूचना प्रतिवेदन में वाहन बोलेरों प्लस क्रमांक एम.पी. 09 बी.ए. 8066 बताया था और बलदेव की मोटरसाईकिल का क्रमांक एम.पी. 46 बी 4802 बताया था। साक्षी ने यह भी बताया था कि बुलेरो वाहन के चालक ने बुलेरो को तेज गति एवं लापरवाही से चलाकर बलदेव की मोटरसाईकिल को टक्कर मारी थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसने व दीपक ने दोनों घालयों को दवाना अस्पताल में ईलाज कराया था उसके बाद वह थाना ठीकरी रिपोर्ट करने गया था। साक्षी ने बलदेव की मोटरसाईकिल का नुकसान होना स्वीकार किया है, लेकिन नुकसानी पंचनामा प्रदर्शपी 3 और बुलेरों के जप्ती पंचनामे प्रदर्शपी 4 पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होने से इंकार किया है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने बुलेरो वाहन के चालक को नहीं देखा था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि घटनास्थल पर मोड होने पर आमने-सामने वाहन आने पर दिखती नहीं है। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि बुलेरो वाहन बलदेव को घसिट कर 8-10 फीट ले गई थी, यह बात उसने प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट तथा पुलिस कथन में लिखा दी थी, यदि नहीं लिखी हो तो वह कारण नहीं बता सकता है, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह घटना के समय बलदेव की मोटरसाईकिल के पीछे अपनी मोटरसाईकिल नहीं चला रहा था। साक्षी ने स्वयं को आहत बलदेव का एक ही समाज के होना स्वीकार किया है, लेकिन इस सुझाव से इंकार किया कि वह इस कारण असत्य कथन कर रहा है।

10. जितेन्द्र पिता युगल असा 4, दीपक असा 5, मोहन असा 6, शंकर असा 7 ने बलदेव एवं मोतीलाल की दुर्घटना की जानकारी उन्हें प्राप्त होने के संबंध में कथन किये हैं। जितेन्द्र असा 4 का यह भी कथन है कि वह मौके पर नहीं गया था। उसे दुर्घटना की सूचना घर पर मिली थी। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में जितेन्द्र असा 4 ने पुलिस को प्रदर्शडी 4 का ए स ए भाग का कथन देने से इंकार किया है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि बलदेव की मोटरसाईकिल फिसलने से वह गिर गया था। साक्षी ने इस

सुझाव से इंकार किया कि बलदेव से अच्छे सबंध होने के कारण वह असत्य कथन कर रहा है। दीपक असा 5 ने प्रदर्शपी 3 का नुकसानी पंचनामा और प्रदर्शपी 4 का वाहन जप्ती का पंचनामा अपने सामने बनाना और उसके बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। अभियोजन द्वारा सुचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि वाहन बोलेरों प्लस क्रमांक एम.पी. 09 बी.ए. 8066 के चालक ने तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक बुलेरो वाहन चलाकर बददेव की मोटरसाईकिल को टक्कर मारी, जिससे बलदेव एवं मोतीलाल गिर गये थे। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि घटना उसके सामने नहीं हुई और उसने बुलेरो वाहन का क्रमांक भी नहीं देखा था। साक्षी ने पुलिस कथन प्रदर्शपी 5 में बुलेरो वाहन एवं मोटरसाईकिल का कमाक बताने से इंकार किया है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह फरियादी के पक्ष में असत्य कथन कर रहा है। मोहन असा 6 ने भी अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने पुलिस कथन प्रदर्शपी 6 में वाहन बोलेरों प्लस कमांक एम.पी. 09 बी.ए. 8066 बताना स्वीकार किया है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने दुर्घटना होते हुए नहीं देखी थी तथा दुर्घटना होते समय घटनास्थल पर नहीं था तथा उसने बुलेरो वाहन के चालक को भी नहीं देखा था उसे बुलेरो वाहन का क्रमांक पुलिस ने बताया था। शंकर असा 7 ने भी बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने घटना नहीं देखी थी। पुलिस ने दुर्घटना के बाद पंचनामा बनाया था, जिस पर उसने हस्ताक्षर किये थे।

- 11. बननराव चौधी असा 11 ने दिनांक 19.11.11 को थाना ठीकरी में फरियादी जितेन्द्र पिता सरदार निवासी दवाना द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट के आधार पर वाहन बोलेरों प्लस कमांक एम.पी. 09 बी.ए. 8066 के चालक के विरूद्ध अपराध कमांक 186/11 प्रदर्शपी 1 का दर्ज कराने तथा उसके बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि बलदेव की ओर से कोई रिपोर्ट नहीं की गई थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने प्रथम सूचना प्रतिवेदन अपनी मर्जी से लेखबद्ध की थी।
- 12. अशोक वर्मा असा 12 ने दिनांक 24.11.11 थाना ठीकरी के अपराध कमांक 186/11 में जप्तशुदा वाहन बोलेरों प्लस कमांक एम.पी. 09 बी.ए. 8066 का यांत्रिकीय परीक्षण करने उसे सही अवस्था में होना पाया था। उसने अपना परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शपी 11 भी प्रमाणित किया है। बवाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसने कोई भी डिप्लोमा प्राप्त नहीं किया और उसने वाहन की जॉच थाने पर की थी।

- ओमप्रकाश यादव असा ८ ने दिनांक 19.11.11 को थाना ठीकरी 13 के अपराध क्रमांक 186/2011 की केस डायरी विवेचना हेत् प्राप्त होने पर फरियादी जितेन्द्र की निशांदेही प्रदर्शपी 2 का नक्शा मौका पंचनामा बनाने, मोटरसाईकिल का नुकसानी पंचनामा प्रदर्शपी 3 का बनाने, वाहन बोलेरों प्लस कमांक एम.पी. 09 बी.ए. 8066 का जप्ती पंचनामा बनाने, फरियादी एंव साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध करने, अभियुक्त को गिरफतार करने तथा अभियुक्त के पेश करने पर वाहन बोलेरों प्लस कमांक एम.पी. 09 बी.ए. 8066 के दस्तावेज एवं अभियुक्त की चालन अनुज्ञप्ति प्रदर्शपी 7 के अनुसार जप्त करने के संबंध में कथन किये है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसने फरियादी से मोटरसाईकिल के दस्तावेज एवं चालन अनुज्ञप्ति जप्त नहीं की थी, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह घटनास्थल पर नहीं गया था तथा नक्शा मौका पंचनामा थाने पर बैठकर बनाया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि बलदेवसिंह एवं मोतीलाल ने पुलिस कथन में वाहन का क्रमांक नहीं बताया था अथवा उसने साक्षियों के कथन मन से लेखबद्ध कर लिये थे। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह अभियुक्त को फंसाने के लिए असत्य कथन कर रहा है।
- 14. डॉ. महेश वर्मा असा 9 ने दिनांक 19.11.11 को प्राथिमक स्वास्थ्य केन्द्र, दवाना मे आहत मोतीलाल पिता कालु, आयु 60 वर्ष निवासी ग्राम बलगॉव को दुर्घटना में चोंटे आने पर ईलाज हेतु लाये जाने पर एक कटा हुआ घाव जिसका आकार 2x1 इंच को जो कि हड्डी की गहराई तक होना पाया था तथा अपना चिकित्सीय परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शपी 9 भी प्रमाणित किया है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि आहत को आई चोंट गिरने से आना संभव है।
- 15. डॉ डी.एस.चौहान असा 10 ने दिनांक 19.11.2011 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ठीकरी में जितेन्द्र तिवारी द्वारा लाये जाने पर आहत बलदेव पिता जयदेव का चिकित्सीय परीक्षण करने पर एक कटा—फटा घाव दाहिने फीबुला अस्थि में तथा बायें पैर की जांघ में फीमर में अस्थि भंग होने के संबंध में कथन किये है। साक्षी ने उसका मेडिकल परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शपी 10 भी प्रमणित किया है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उक्त चोंटें गिरने से आना संभव है।
- 16. इस प्रकार स्पष्ट रूप से अभियुक्त द्वारा घटना के समय वाहन बोलेरों प्लस कमांक एम.पी. 09 बी.ए. 8066 को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक से चलाकर मोतीलाल एवं बलदेव को टक्कर मारने के संबंध में और उन्हें उपहित तथा घोर उपहित कारित करने के संबंध में किसी भी साक्षी का कथन नहीं है। यहाँ तक कि न्यायालय में किसी भी साक्षी ने अभियुक्त द्वारा घटना के समय वाहन का चालक होने के संबंध में अभियुक्त की पहचान नहीं की है तो ऐसी

स्थिति में यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को तेज गति एंव लापरवाहीपूर्वक चलाकर बलदेव एव मोतीलाल का जीवन संकटापन्न किया और मोतीलाल को उपहित एंव बलदेव को घोर उपहित कारित की।

- 17. उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त धर्मेन्द्र के विरुद्व निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित तीनों विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नही पाये जाते हैं। अतएव अभियुक्त धर्मेन्द्र को संदेह का लाभ देते हुए धारा 279, 337, 338 भा.द.स. के अपराधों से दोषमुक्त किया जाकर उसके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है।
- 18. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन बोलेरों प्लस क्रमांक एम.पी. 09 बी.ए. 8066 को उसके पंजीकृत स्वामी धर्मेन्द्र पिता मदनलाल, आयु 38 वर्ष निवासी—ग्राम ठनगाँव, तहसील महेश्वर जिला—खरगोन म.प्र. को सुपुर्दगीनामे पर दी गई। उक्त सुपुदर्गीनामा अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में स्वतः निरस्त समझा जाये। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड, जिला बडवानी (श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड, जिला बडवानी